REGISTERED No. D. (D.N.) 72



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

तं 367] नई बिल्लो, मंगलवार, अगस्त 20, 1985/आवग 29, 1997 No. 367] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 1985/SRAVANA 29, 1987

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में

रचा जा सच्छे

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

बित्त मंत्रालय

(राजस्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 ग्रगम्स, 1985

प्रधिमूचना

प्राय-कर

मा०का∙नि॰ 665 (ग्र):---भारत मरकार और कीनिया सरकार ने घाय पर दोहरे कराधान के परिवर्जन और करों के संबंध में राज विसीस ग्रापबंखम के निवारण के लिए एक घशिसमय करने का. जैसा कि इम के उपांबरक्ष में उपवणित हैं निक्चय किया है;

और भ्रभिसमय के मनुष्छेद 30 के पैरा 2 की म्रपेक्षानुसार व गभी म्रपेक्षाएं पूरी कर ली गयी है, जो उक्त प्रजिसमय को कमशः भारत और कीलिया में विधि का बल प्रदान करने के लिए भ्रावश्यक हैं; और उक्त मभिसमय के भनज्छेद 30 के पैरा 2 की म्रपेक्षानसार

इस प्रभाव के राजनयिक टिप्पणों का, उक्स दोनों सरकारों के कीच द्यादान-प्रदान हो गया है।

ग्रतः केन्द्रीय सरकार, ग्राय-कर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 और कंपनी (लाभ) ग्रतिकर ग्रधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निवेण देती है कि उक्त श्रभिसमय के सभी उपजन्ध भारत संघ में प्रभावी किए आएंगे।

[फा॰मं॰ 501/3/72--एफ. टी**॰ डी**॰]

को०वु० इराई/, संयुक्त सचिव

भारत और कोनिया के बीच दोहरे कराबान केपरिझार और भाव पर करों के संबंध में राजस्व प्रपर्वचन रॉकने के लिए अभिसेमय

भारत की सरकार तथा कीनिया शणराज्य की सरकार,दोहरे कराधान के परिहार के लिए और झाय पर करों के संबंध में राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए एक प्रश्निसमय सम्पन्न करने की प्रच्छा से, नीचे लिखे ग्रन्सार सहैमत हुई हैं।

ग्रनुष्छेद 1

बैक्तिकय क्षेत्र

यह प्रभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक ग्रथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

म्रनुच्छेद 2

अभिसमय के अन्तर्गत आने बाले कर

 यह धभिसमय प्रत्येक संगिदाकारी राज्य की ओर ने धाव पर लगाये जाने वाले करों पर लागू होगा, जाहे वे कर किसी भी तरह से लगाए जाने हों।

2. कुल झाय, भाषवा झाय के तरवों पर, जिसमें चल तवा प्रवस संपत्ति के अन्तरण से हुए अगिलाभों पर लगाया जाने वाला कर गासिल है, लगे सभी करों को और उदयवों ढारा घदा की गयी मजयूरी झयवा

(1)

वेनन को कुप राशि परलगते वाले करों को आय पर कर समझी आएगा।

 यह मभिसमय विणेष रूप से जिन वर्तमान करों पर मागू ष्टीमा वे हैं:---

- (क) भारत के मामले में भावकर, जिसमें झावकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के बन्तगत उस पर लगाया जाने वाला कोई भी घधिभार णामिल है, और कंपनी (लाभ) घतिकर प्रधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला घनिकर (जिसे इसके परवात "भारनीय कर" कहा गया है)
- (ख) की मिया के मामले में :
- श्रीयकर भ्रधिनियम (ग्रन० 470) के भ्रन्तर्गत लगाया जाने वाला ग्रायकर (जिसे इसके पण्चान "कीनियाई कर" कहा गया है)।

म्यट् असिममय आध पर किन्ही समरूप प्रथवा सारतः कैसे ही करों पर भी लाग् होगा. जो वर्तमान करों के अतिरिक्त ग्रववा उनके स्थान पर, बर्तमान अभिसमय पर हम्नाक्षर करने की तारीख के पश्चति अगाये जाये। संविधाकारी राज्य, अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए सहस्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे को सूचित करेंगे।

अन्च्छेद 3

साक्षान्य परिभाषाएं

1 इस अभिसमय में, जब गक मंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (त) "क लिता" णब्द से अभिनेत है क/निया गणराज्य, ।जसनें क निया के प्राप्तेणिक समुद्र से बाहर, यह क्षेस भी गानिल है, जो अंतरी ट्रांग कानूनों के अन्सार, महाद्वीपोय जल समा से संबंधित क/निया के कानूनों के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र ते रूप में निर्दिष्ट किया गया है या किया आए, जिसमें प्राइतिक गंसाधनों की: खोज और दोहन के संबंध में क:निया सार्वभोम अधिकारों का प्रयोग कर सकता है।
- (ख) "भारत" गव्द से प्रभिन्नेत है, भारत का क्षेत्र और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का आकाणी क्षेत्र तथा प्रादे-णिक समुद्र, महाद्वं:पीय अल-गीमा, विणिष्ट प्राधिक-क्षेत्र और ग्रन्थ रामुद्री क्षेत्र प्रधिनियम, 1976 (1976 का प्रधिनियम संख्याक 80) में उल्लिग्रित कोई भी प्रत्य समुद्री क्षेद्र सामिल है, जिसमें भारत के प्रतिपय प्रधिकार हों और उस सीमा तक उनमें इन प्रधिकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है, मानो वह समुद्री क्षेन्न भारत के राज्य क्षेत्र का ही एक जंग हो ।
- (ग) "संविदाकारी राज्य" और "भन्य संविदाकारी राज्य" झब्त मे संदर्भ को प्रदेशा श्रनुसार कीनिया प्रथवा भारत प्रभिन्नेत है।
- (घ) "कर' शब्द मे, संबर्भ की। अपेक्षा के अनुसार, कीतियाई कर अथवा भारतीय कर प्रभिन्नेत है, किन्तु इसमें ऐसा कोई कर शामिल नहीं होगा, जो उन करों के संबंध में ऐसी चूक प्रथवा भूल के संबंध में देय हो, जिन पर यह प्रभिसमय लागू होता है प्रथवा जो उन करों के संबंध में लगाये गए अर्थवण्ड के रूप में हो।
- (छ) "व्यक्ति" शब्द मे कोई एक व्यष्टि, कोई संपनी और व्यक्तियों जा कोई भी ऐमा निकाय णामिल ते जिन्हें कर के प्रयोजन से एक इकाई माना जाता हा।

- (च) "कंधनी" गठद से कोई भी ऐसा निगमित निकाय भर्षत कोई ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जिसे कर के प्रयोजन से एक निगमित निकाय माना जाता हो।
- (छ) "कीनियाई उद्यम" और "भारतीय उय्यम" णग्यो, से कमगः कीनिया के किसी निवासी द्वारा संचालिस कोई औदगोगिक अथना वाणिज्यिक उद्यम अथना उपकम और भारत के किसी निव सी द्वारा संचालिस औद्योगिक प्रथवा वाणिज्यिक उद्यम प्रथवा उपत्रम अभिन्नेत है तथा "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूमरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" शब्दों से संवर्भ की अपेक्षानुसार, कोई कीनियाई श्रथवा कोई भारतीय उद्यम श्रभिप्रेत है।
- (ज) "राष्ट्रिक" कटद मे जैसा भी मामला हो, कीलिया अथवा भारत की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति तथा सभी विधिक व्यक्ति, सहभागिता और कीलिया अथवा भारत में प्रवृत्त कानूनों से अपनी हैसियत प्राप्त करने वालों संस्थाएँ, जैसा भी मामला हो, बाभिवेत है,
- (ज्ञ) ''सक्षम प्राधिकारी'' णब्द से प्रप्रित है.
 - (क) कौनिया के मामले में, विन मंत्री ध्रथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि ।
 - (ख) भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजरव विभाग) ।
- (अ) "ग्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात" णय्द से ग्रन्नित है. एक संविदाकारी राज्य किसी उद्यम द्वारा संचालित जहाज या बायुयान द्वारा की जाने वाली यात्ना, सिवाय ऐसी स्थिति में, जब यात्ना माल्ल दूसरे संविदाकारी राज्य के भ्रम्तगैत स्थित स्थानों के बीच ही की गयी हो।

2. एक संविदाकारी राज्य द्वारा, इस मभिममय के उपबन्धों क प्रवंतन में, किसी भी लब्द पद का जो ग्रन्थया यहां परिभाषित नहीं हुमा हो. जब तक कि संदर्भ की ग्रन्थया श्रपेक्षा नहीं हो, बही ग्रर्थ होगा जो उस संविदाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के ग्रन्तगैत होता है, जो इस ग्रसिमय के विषय हैं।

ন্মশুৰ্ণ্ডবৈ 4

श्रार्थिक अधिवास

 इस प्रभिसमय के प्रयोजन के लिये "संविदाकारी राज्य का निवासी" गब्द से प्रभिन्नेत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो उस राज्य के कानूनों के घंतुसार, अपने अधिवास, निवास, प्रवध के स्थान या इसी प्रकार की किसी अस्य कसौटों के कारण उसमें कर लगाये जाने योग्य है।

2. जहां, पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो उसकी निवासीय हैसियत निम्न-सिखित नियमों के अनुसार निष्चित की जायेंगी :-----

- (क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना आयेगा जहां उसे एक स्थायी निवास-पृह उपलब्ध हो । यदि उसे दोनों मंत्रिवाकारी राज्यों में एक निवास-पृष्ठ उपलब्ध हो, तो दह उस संविवाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत भीर भाषिक संबंध घनिष्ठतर हैं (जिसे इसके पश्चास "महत्वपूर्ण हिनों का केन्द्र" के रूप में उल्लेख किया जायेगा);
- (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य का निम्ण्य नहीं किया जा सकता हो, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र है, ग्रथका यदि उसे किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो बह उम संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा, जिसमें वह स्वभावतः रहना हो;

(ग) यदि वह स्वभावतः दोनों ही संविदाकारी राज्यों में रहता है, प्रथवा इनमें से किसी में भी नहीं रहता है, तो वह उस -संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा. जिसका वह राष्ट्रिक है;

(घ) यदि यह दोनों सविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है अथवा किसी का भी राष्ट्रिक नही है, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, पारस्परिक सहमति बारा, इस प्रण्न का निर्णय करेंगे।

3. ग्रजर पैराग्राफ । के उगवन्धों के श्रनुसार कोई कंपनी दोनों ही संविदाकारी राज्यों की निवासी हो, तो यह मामला निम्नलिखित नियमों के मनुसार निर्धारित किया जायेगाः

- (क) उसे उस संविदालारी राज्य का निवासी समझा जन्येगा, जिसका बह राष्ट्रिक हो ;
- (खा) यदि वह दोनों में से किमी भी संविधाकरी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है, लो उसे उस संविदःकरी राज्य का निवासी संमन्ना जायेगा, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है ।

4. जहां एक व्यक्ति में भिन्न कोई व्यक्ति ग्रयवा कोई कंपनो, पराग्राफ 1 के उपबन्धों के ग्रनुसार, दोनों संविदकारो राज्यों को निवासी हो, तो वह उस संविदाकारो राज्य को निवासो मानो जायेगी, जिसमें उसका वास्तविक प्रबंध का स्थान स्थित है।

मनुच्छेद 5

स्यायी संस्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिये, स्थापी संस्थापन सब्द-पद का अर्थ है, कारोबार का एक निश्चित स्थान, जहां पर उद्यम का कारोबार न्णीनः प्रथवा अंशतः किया जाता है ।

2 "स्थायी मंस्थापन" शब्द-पद में विगेष रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:---

- (क) प्रबंध का कोई स्थान;
- (खा) माखा;
- (ग) कार्यालय;
- (घ) कारखाना,
- (ङ) कार्यमाला;
- (च) कोई खान, तेन कः कुग्रां, खदन्म ग्रयवा प्राक्तनिक संसाधनों के निष्कर्वण का कोई ग्रन्थ स्थान ;
- (छ) फर्म, ब.गान, प्रथवा ऐसा स्थान, जहां कृषि, वन संपत्ति, बागान भ्रथवा उनमे संबंधित कार्य-कलाप किये जाते हैं ;
- (ज) कोई भवन-स्थल, ग्रथवा निर्माण ग्रथवा ऐसी संयोजन परि-योजना, जो छः महीने से प्रधिक भवधि तक जरी रहती है:
- (त) किसी भवन-निर्माण स्थल मयवा निर्माण प्रयवा संयोजन परि-योजना पर छः महोने से प्रधिक समय के लिये पर्यवेक्षी गति-विधियों की व्यवस्था।

3. "स्थायी संस्थापन" शब्द में निम्नीलिखित को शामिल नहीं माना जायेगा :---

- (क) उद्यम के माल प्रथवा पण्पीं के केवल भग्डारण प्रथवा प्रदर्शन के प्रोजनार्थ मुविधाप्रों का प्रयोग;
- (ख) उद्यम माल अपथा पण्पो के भण्डारण अपवा प्रदर्शन प्रयोजनार्थं स्टाक रखना;
- (ग) ग्रमन्य रूप से अन्य उग्रम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उग्रम के मास अर्थवा पण्यों का स्टाफ रखगा;

- (घ) उद्यम के लिये म.ल अयवा पण्यों को केवल ऋष करने अववा मूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार का कोई नियत स्थान बनाये रखना ;
- (ङ) उग्रम के लिये, विज्ञापन, सूचना देने, दैंजानिक ग्रनुसंधान ग्रयवा उसी प्रकार के किप:-कल.पों के लिये, जो प्रारंभिक ग्रयवा सहयक किस्म के दों, ग्रानन्य रूप से करोब र क: कोई नियत स्थान बन.ये रखना ।

- (क) बह उस रज्य में उस उसक के लिपे प्रथवा उद्यम की म्रोर से संविदा संगल करने कः प्राधिक र रखना है और सहज रूप से जसक प्रयोग करता है जब तक कि उसके किंगलकरप जस उद्यम के लिये मुल म्रयंत. पेण्यों के कप तक हो सामित नहीं हों; जगा
- (ख) नह उम प्रयमोल्तिखित रज्य में उन उद्यम के मन प्रयवा पण्यों कः भण्डर रखा हो, जितमें से वह उउ उद्यम की खोर से निर्माम कर के बईरों को र्गुति हरता है।

5. एक संबिदक रो राज्य के किसो बीमा उधम को, दूपरे सविदाकारों राज्य में उस स्थिति में कोई स्थावी संस्थापन मना जावेगा, अगर वह किसो कर्मचारी के द्वारा अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि द्वारा जो। पैरायाफ 6 के अर्थास्तर्गत स्वतंद्र हैसियन का एजेंट नहीं हो, उस दूपरें राज्य में बीमा-किस्त वसूल बारता हो अथवा जनमें जोखिमों का बीमा करता हो।

6. किसी संविधाकारी राज्य मे उग्रम का दूसरे सविदाकारी राज्य में, माल इस कारण से स्थायी संस्थापन नहीं माना आयेगा कि बहु उस दूसरे सविदाकारी राज्य में किसी बलाल, समान्य कमीशन एजेट प्रयवा स्वतन्त्र हैसियत वाले किसी बन्य एजेट के माध्यम से कारोवार करता है, जहां ऐसे व्यक्ति ग्रागा कारोबार सामान्य स्थ्य से कर रहे हों। लेकिन जहां इस प्रकार के एजेंट के कियाकतराप उस उच्च की ग्रीर से पूर्णता अथवा लगभग पूर्णता किये जाते हों तो उसे इस पैराप्राफ के ग्रर्थ के ग्रास्तर्गत स्वतन्त्व हैसियत का एजेंट नहीं माना जायेगा।

7. मग्ल इस तथ्य से, कि कोई कंपनी जो किसी एक संविदःकारी राज्य में निवत्मां हो, किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा जमसे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य को निवत्सो हो, प्रथवा जस दूसरे संविदाकारी राज्य में अपना कारोबार करती हो (किसी स्थापी संस्थापन के माध्यम से अथवा अस्था), इनमें से कोई भी कंपनी खुद किसी दूसरे कंपनी का स्थापी संस्थापन नहीं बन सकरीं।

ग्रनुच्छेर 6

ग्रजल संपत्ति से ग्राय

 प्रवल संपत्ति से ग्राय पर, जिसमें कृषि ग्रीर वन-संपत्ति से ग्राय भी शामिल है, कर उस संविदाकारी राज्य में लगाया जायेगा, जिसमें इस प्रकार की संपत्ति स्थित है ।

2. इस अभिष्ठमय के प्रयोजन से "अवल संपत्ति" की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि के प्रनुसारकी जत्येगी, जिसमें विषाराधीन संपत्ति स्थित है । इस शब्द-पद में, किसी भी हालत में, प्रचल संपत्ति के उपमाधन के रूप में संपत्ति, कृषि ग्रीर वनविद्या में प्रयुक्त पगुधन तथा उपस्कर शामिल होंने; ऐसे श्रधिकार, जिन पर मू-संपत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबदा लागू होते हों, ग्राचल संपत्ति को भोगने का श्रधिकार ग्रीर खनित्र भण्डार स्रोतों ग्रीर प्राइतिक संसाधनों का कार्य मणवा वाम करने के अधिकार के प्रतिफन्ग के रूप में पारवतौगीग अथजा नियत अवायगियों के ऋधिकार; पोन, नौकाएं श्रौर विमान अंचल संपणि नहीं माने जायेंगे।

3. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, प्रजल संपत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग, किराये ध्यदेने प्रथवा किसी प्रत्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली श्राय पर प्रौर स प्रकार की संपत्ति के हुस्तान्तरण से होने वाले लाभों पर लागू होंगे।

4. पैराप्राफ 1 ग्रौर 3 के उपभंध किसी उच्चम की भ्रचल संपतित से होने वाली भ्राय और व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के लिये प्रयुक्त भ्रचल संपत्ति से होने वाली भ्राय पर भी लागू होंगे।

मनुण्छेद 7

कारोबार से लाभ

 एक संविधकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ पर केवल उस राज्य में ही कर लगाया जायेगा, जब तक कि वह उद्यम दूसरे लखित-कारी राज्य में, बहां स्थित किली स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार न कर रहा हो। अगर वह उद्यम उपर लिखे अनुसार कारोबार कर रहा हो प्राप्ता करता रहा हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है परन्तु केवल उतने ही प्रांग पर जो,

(क) उस स्थायी संस्थापन के कारण प्राप्त हुए हों, (ख) उस दूसरे राज्य में वैसे ही प्रवधा उसी प्रकार के माल प्रथवा पर्ण्यों की विक्री से प्राप्त हुए हों जैसे कि उस संस्थापन के साध्यम से किसे जाते है प्रथवा (ग) उस दूसरे राज्य में किये गये वैसे ही प्रथवा उसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य के कारण प्राप्त हुए हों जैसे उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से किये जाते हैं।

2. जहां किसी मंचिदाकारी राज्य का कोई जद्यम, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्वायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रस्थेक संविदाकारी राज्य में उसको उस स्वायी संस्थापन के कारण उन लाभों का होना माना जायेगा, जिसके उसे इस स्थिति में, प्राप्त होने की ध्रपेक्षा रहती, जब वह उन्हीं या बैसी ही परिस्थितियों में, उन्द्वीं या बैसे ही कार्थों में लगा हुधा कोई निश्चित श्रीर भिन्न उबम होता श्रीर जिन उद्यम का बह स्थायी संस्थापन है, उसके साथ पूर्णतया स्वतन्त्र रूप से व्यवहार करता।

3. स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण में व्ययों की उन कटौतियों की स्वीक्रांत दी जायेगी, जो स्थायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजन के लिये किये गये हों, और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यालयी तथा सामान्य प्रधासनिक व्यय शामिल रहेगें, चाहे ने उस राज्य में किये गये हों, जहां स्वायी संस्थापन स्थित है अथवा ब्रन्यबा।

4. जहां किसी संविदाकारी राज्य में, उसके कानून के अनुसार उसम के कुल लाभों को, उसके विभिन्न भागों में विभाजित करने के आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने नाले लाभों को निस्थित करने की प्रथा हो, वहां पैराम्राफ 2 की कोई भी व्यवस्था जस सविदाकारी राज्य को ऐसी यया रुढ़ि प्रभाजन पद्धति से कर लगने वाले लाभों को निश्चित करने से प्रतिबर्धित नहीं करेंगी; तथापि प्रभाजन पद्धति ऐसी होंगी कि उसका परिणाम इस प्रनुष्ठीय में विहित सिद्धांतों के प्रनुसार होगा।

5. एक संविधाकारी राज्य के किसी लखम को उदभूत होने वासे खाओं का कोई भी भाग मात्र इस प्राधार पर दूसरे संविधाकारी राज्य में स्थिति किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नेही माना जायेगा कि उस स्थायी संस्थापन द्वारा उस दूसरे राज्य में उद्यम के लिये माल प्रथवा पण्य वस्तुएं बरीवी गयी हैं।

6. पूर्ववर्ती पैराप्राफों के प्रयोजनों के लिये, स्थायी संस्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब नक उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जायेगा, जब तक कि इसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

7. जहां लाभों में आय की ने मर्दे गामिल हों, जिलका इस श्रधि-समय के अन्य प्रतुच्छेदों में प्रलंग से वियेचन किया गया है, वहां उन प्रतुच्छेदों के उलबंध इन प्रतुच्छेद के उलबंधों से प्रभावित नही होंगे।

श्रनुण्छेद 8 शिमान परिबहुन

 एक संविदाकारी राज्य के ज्यम ढारा प्रतर्राष्ट्रीय यातायात मे विमान संचालन से प्राप्त लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य मे ही लगाया जायेगा, जिसमें इडम का प्रभाषी प्रबंध का स्थान स्थित है।

2. इस मनुच्छेद के पैरायाफ 1 के उपबंध लाभों के उस ग्रंश पर भी लागू होंगे, जो किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन व्यवस्था प्रथमा किसी अतर्राष्ट्रीय संचालन एनेमी में एकीक्षत सेवा में भाग लेने से किसी संविद-कारी राज्य के एक उद्यम ढारा श्रंतर्राष्ट्रीय यातायात में विमान परिवालन से प्राप्त किये जाते हैं।

3. पैराप्राफ 1 के प्रयोजनार्थ प्रतर्राष्ट्रीय यालायात में विमान संचालन से प्रत्यक्षतः संबद्ध निधियों पर ब्याज इस प्रकार के विमान संचालन से होने वालो आय मानी जावेगी और इस प्रकार के ब्याज के संबंध में अनुच्छेद 12 के उपबंध लागू नहीं होंगे।

<mark>त्रनुच्छेद</mark> 🤉 •

जहाजरानी

 एक संविदाकारी राज्य के लग्रभ ढारा प्रंतर्राब्द्रीय यातायात में पोतों के संचालन मे प्राप्त लाभों पर प्रत्येक संविदाकारी राज्य के नातून के अनुसार दोंनों मंत्रिदाकारी राज्यों में कर लगाया जा गकता है।

वणतें कि जहां इस प्रकार का कोई जग्रम दूसरे संविदाकरी राज्य में इस प्रकार के संचालन में खंभ प्राप्त करना है, वहां :--

- (क) इस प्रकार के लाभ वह रागि समझी जायेगी, जो उधम दारा उस दूसरे राज्य में याझी परिवहन अथवा माल वाहन के कारण प्राप्त सम्पूर्ण रागि के 5 प्रतिगत से अधिक नहीं हो ;
- (बा) उस दूसरे राज्य में प्रमार्थ कर में से उसके 50 प्रतिष्ठत के बराबर की राणि की कटौनी की जायेगी।

सन्ब्रहेद 10

सहयोगी जच्चम

जहां :--

- (क) एक संविदाकारी राज्य का उग्रम दूसरे सविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण झववा पूंजी में प्ररयक्ष रूप से झववा परोक्ष रूप से भाग खेता है; झववा
- (बा) ने ही व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रथवा परोक्षतः एक संक्रियाकारी राज्य ग्रीर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी तथम के प्रबंध, नियंक्षण प्रथवा पूंजी में भाग लेते है;

श्रीर दोनों में में किसी भी प्रवस्था में, दोनों उद्यमों के बीच, वाणिज्यिक अथवा विस्तीय संबधों में, ऐसी शर्तें रखी प्रवचा लगाई जाती हैं, जो वैसी शर्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतंत्र तद्यमों के बीच रखी जाती हैं, वहां इस प्रकार के कोई लाभ, उन शर्तों के होने की हालत में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुए होते हैं किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुए, तो वे लाभ उस उद्यम के लाओं में मन्मिलित किये जा सकेगें ग्रौर नदनुसार उन पर कर लगाया जायेगा।

2. जहां से बे लाभ, जिन के लिये एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस, राज्य में कर लगा दिया गया है, दूसरे मंत्रियाकारी राज्य के किसी जयम के लाभों में शामिल कर लिये जाते है घीर उन पर तद-नुमार कर लगाया जाता है, श्रोर इस प्रकार शामिल किये गये लाभ वे लाभ है, जो दूसरे राज्य के उस उद्यम की तब प्रोदमूत हुए होते, यदि उद्यमों के मध्य लगाई गयी शर्ते वे होती, जो स्वतन्न उद्यमों के बीव लगाई जाती है, बहां वह प्रथमोल्लिखिन राज्य उन लाभों पर, प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रभारित कर की राशि का समुचिन समायोजन करेगा। इस प्रकार का समायोजन निर्धारित करने में, आध के स्वरूप के संबंध में इस प्रभि-समय के ग्रन्य उपबंधों पर यथोचिन ध्यान दिया जायेगा।

भनुष्खेद - ११ लाभांण

1. किसी कंपनी द्वारा, जो एक संविदाक रो राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को घटा किये गये लाभांग उस दूसरे राज्य मे कराधेय हुंगि।

2 तथापि, इस प्रकार के लभाग उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होंगे, जिसकी लाभांग घदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर उस राज्य के कानून के घनुसार लगाया जायेगा, परन्सु यदि प्राप्सकर्ता, लाभाग का हितभागी स्वाभी है, तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर सकल रकम के 15 प्रसिशत में अधिक नहीं होंगा।

3. इस प्रतृच्छेव में संभाषसुक्त "लाभांश" गब्द का घशिप्राय गेथेरों घशवा घत्य प्रधिकारों से, जो ऋएग-दावे नहीं हों, घीर लाभों में सहयोगी हों, प्राप्त प्राय से तथा गेएरों घशवा किसी प्रत्य सद से' जिसे लाभांश समझा जाता है प्रववा उस सविवाकारी राज्य के कराधान कानूत द्वारा, जिसकी कि वितरण करने वाली कंपनी तिवासी है, किसी पंपनी के विभाजन से प्राप्त आय में सम्मिलित प्रत्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है।

4 पेराग्राफ 2 के उपभंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांगों का प्राप्सकर्ता जो एक गंविदाकारी राज्य का निवासी है, उस पूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसकी लाभांग प्रदा करने वाली कंपनी निवासी है, बहा स्थित एक स्वायी संस्थापन के माध्यम से छारोबार करता है, प्रथवा उस दूमरे राज्य में स्थित एक निधिकत स्वान से छ्याव-साविक सेवायें संपन्न करता है, और जिस घारिता के कारण लामांगों की ग्रदायगी की जाती है, बहु इस प्रकार के स्थायी संस्थापन ग्रथवा निधिकत स्थान से प्रमावी रूप में संबद्ध है। ऐसे मामले में, जैसी भी स्थिति हो, प्रभुष्ठदे 7 प्रथवा प्रमुच्छेद 16 के उपबंध लागू होंगे।

5 जहां ऐसी कार्द मांपनी, जो एक संविदाकारी राज्य की नियासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ ग्रथवा ग्राय प्राप्त करती है, वहा उस दूसरे राज्य द्वारा कंपनी द्वारा ग्रदा किए गए लाभांगो पर, जहा तक कि ऐसे लाक्षांण दूसरे राज्य के तिवासी को ग्रदा किए जोते हैं, उसे कांड़कर श्रव्यका जहां तक कि वह धारिता, जिसके संबंध में लाभांगों की प्रदायगी की जाती है, उस राज्य में स्थित स्थाभी सरथापन कथवा एक निश्चित ग्राह्मार से प्रमावी रूप से सम्बद्ध है, न तो कोई कर जगाएगा और न ही कंपनी के ग्रवियरित लाभों पर घवितरित लाभों संबंधी कर लगाया जाएगा, जाहे ग्रदा किए गमें लाभांगों पूर्णत: ग्रथवा ग्राहिक रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पत्न होने वाले लाभ अथवा ग्राम के रूप में ही हों।

अनुष्छेद 12

ब्याज

i. एक सविदाकारी राज्य में उत्पत्न होने वाले तथा दूसरे संविदा-फारी राज्य के निवासी को ग्रदा किए जाने वाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा।

2 किन्दु, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविधाकारी राज्य में भी ग्रीर उस राज्य के कानून के प्रनुसार कर लगाया जाएगा, जिस राज्य में बह प्रणित होता है किन्दु जिस संविधाकारी राज्य में ब्याण भजित होना है, उसमें इस प्रकार प्रभारिन कर, व्याज की सकल रकम के 15 प्रतिशन से प्रधिक तही होगा।

3. पैराग्नाफ 2 के उपत्रंघों के होते हुए भंग, एक संविदाकारी राज्य में प्रजिप्त होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण को, उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सैन्ट्रल बेक प्राथवा उस सरकार प्रथवा स्थानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्थामिस्य वाली किसी एजेंसी को प्रवस ब्याज पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट दी आएगी। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, परस्पर महमति से कोई भी ग्रन्थ सरकारी संख्यान निर्कारित कर लकते. ई, जिस पर यह पैरामाक क्षागू होगा।

4. इस अनुब्रुटेव में प्रयाप्रयुक्त 'व्याभे' गब्द से सरकारी प्रति-सुतियों, नध-गत्रों प्रयथा ऋष्ण-पत्नों चाह वे बधक ढारा प्रतिभुत हो। प्रथवा नहीं, भीर चाहे वे लाओं में भागी होने का प्रधिकार रखने हों अपना नहीं और हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त प्राय आंर गाथ ही। नाख प्रन्य ऐसी घाय से भ्रभिप्राय है जो, जिस मंबिदाकारी राज्य में ग्राय उद्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के प्रनुसार, उधार दिए गए धन में प्राप्त प्राय में समायिट की गयी हो।

5. पैराधाफ 2 के उनमध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ज्याज प्राध्नकर्ता, संविधाकारी राज्य का निवामी तोंने में. दूसरे सविदा-कारी राज्य में व्यापार चलाता हो जिसमें स्थित किसी रूपायी संस्थापन के माध्यम में व्याज उत्पन्त हुआ हो प्रथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित के माध्यम में व्याज उत्पन्त हुआ हो प्रथवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित किसी निश्चित स्थान से व्यावसायिक सेवाये निष्पत्न करता हो, श्रौर जिस प्रहण-दावे के बारे में व्याज खर्दा किया जाता है वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो इस प्रकार के मामले में प्रनुष्ठदेव 7 प्रथवा श्रनुष्ठदेव 16 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।

6 संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में स्थाज उद्धूत हूवा माना जाएगा जब व्यात ग्रा करने वाला स्वय संधिवाकारी राज्य, कोई राज-नीतिंक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी प्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किस्तु, जहां स्थाज प्रदा करने वाले व्यक्ति का, बाहे वह संविदाकारों राज्य का निवासी हा प्रयत्न तहीं, संविदाकारी राज्य में काई स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित प्राधार है, जिसके संबंध में वह श्रहण लिया गया था, जिस पर स्थाज की प्रदायगी की जाती है प्रौर इस प्रवार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित ग्राधार द्वारा वहन किया गया था, जिस पर स्थाज उम्र गंविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ गाना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित ग्राधार द्वारा है भाग जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित ग्राधार द्वारा है स्था भाना और सब वह क्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ

7. अहा, व्यात्र ग्रादा करने नांगे तथा प्राप्तवातों के बीच प्रथा उन दोनों के बीच तथा किसी प्रव्य व्यक्ति के बीच विकोध प्रकार का संबंध होने के कारण ग्रादा किए गये ब्याज की रक्तम, उम ऋष-दाघे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए उसे प्रदा किया गया है, उस रक्तम में बचे आती है, जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले श्वीर प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस प्रनुक्छेद के उपबंध केवल ग्रान्तिम बॉलन रकम पर लाग होंगे। ऐसे मायले में, अदायगी के प्रतिरिक्त भाग पर इस प्रक्षियमय के प्रत्य उप-बधों का छनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कातून के मनुसार कर लगाया जाएगा।

अनुच्छेव 13

रायल्टियां

 एक सविदाकारी राज्य में उद्मुत होने वाली झौर द्सरे संविदा-कारी राज्य के तिवासी को अवा की गयी रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगावा जा सकेगा ।

2. किन्तु ऐसी रायस्टियों पर, उस सविदाकारी राज्य में ग्रीर उस राज्य के कानूब के प्रनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसमें वे उद्भूत होती है। किन्तु जिस मविदाकारी राज्य में रायस्टिया उद्भुत होती है उस में इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायस्टियों की सकल रक्षण के 20 प्रतिशत से ग्राधिक नहीं होगा।

3. इस अनुभ्छेद में यथा-अनुभुष ''रायखियों', एव्द से साहित्यिक, कलारमक अथवा बैझातिक इत्तियों (जिसमें चलपिक फिर्नों तथा शेइया अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेनें भी णामिल है), कोई

5

पटेस्ट, ब्यापार-चिन्द्र; डिनाइन ग्रथवा माडल, प्लान, गुला फार्म्ला अयवा प्रक्रिया के प्रयोग प्रथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफला के रूप में अथवा श्रीयोगिक, वाणिज्यिक ग्रथवा दैक्षानिक उत्रस्कर के प्रयोग के लिए श्रथवा प्रयोगाधिकार के लिए श्रयवा श्रीखोतिक, वाणिज्यिक श्रथवा वैज्ञानिक श्रनुभव से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार की श्रदायगी अभिप्रेत है।

4. पैराग्राफ 2 के उपत्रंध उग स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि रायलटो का प्राप्तकरतों एक मंत्रिकारी राज्य का निवासी होने से झॉर दूसरे संविदाकारों राज्य में, जिसमें रायल्टिया उद्भूम होती हैं, स्थित स्थायी संस्थापन के माध्यम में त्यापार चलाला है अथवा उम दूसरे राज्यों में, बढां पर स्थित एक निष्टिष आधार में व्यापार चलाला है अथवा उम दूसरे राज्यों में, बढां पर स्थित एक निष्टिष आधार में व्यापार चलाला है, अल्या उम दूसरे राज्यों में, बढां पर स्थित एक निष्टिष आधार में व्यापार चलाला है, प्रथवा उम दूसरे राज्यों में, बढां पर स्थित एक निष्टिष आधार में व्यापार चलाला है, नया जिस अधिकार अथवा गंपलि के बारे में रायल्टियों की अवायगी की जाती है, वह उन्त स्थायी मंस्थापन अथवा निष्टिष्ठ यावा प्रतिष्टियें की अवायगी की जाती है, वह उन्त स्थायी मंस्थापन अथवा निष्टिष्ठ रायला प्रतृष्ठिद 16 के उपवंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे।

5. किसी सविदाकारी राज्य में रायस्टियां उस स्थिति में उद्भूत हुई मानी जाएगी, अब रायल्टी ग्रदा करने बाला स्वयं कोई संविदाकारी राज्य का नोई राजनीसिक उपमंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रथवा उस राज्य का नोई निवासी हो। परन्तु जहां रायस्टियां ग्रदा करने वाले कार्यन का. चर्छ वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो धर्मवा नहीं, एक सविदाकारी राज्य में कोई स्थामी संस्थापन ग्रयवा निश्चित आधार है जिसके संवध में रायस्टी ग्रदा करने की देनदारी ली गयी थी, और मैंसी रायस्टियों उस स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित आधार है प्रिसके संवध में रायस्टी ग्रदा करने की देनदारी ली गयी थी, और मैंसी रायस्टियों उस स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित प्राधार इारा, उष्भूत हुई है तब ऐनी रायस्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई सानी जायेंगी जिसमें रघायी संस्थापन प्रथवा निश्चित ग्राध स्थित है।

6. अहां, रायल्टी ग्रदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के वीच अथवा उन दोनों के भीर किसी अन्य व्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण, ग्रदा की गयी रायल्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, ग्रधिकार प्रत्वा तूवना को ध्यान में रप्रते टु., जिसके लिए वे रायल्टियों ग्रदा की जाती है, उस रकम से बठ जाती हैं जिसके लिए इस प्रकार का संबंध नहीं। होने की स्थिति में ग्रदा करने वाले ग्रीर प्राप्तकर्ता के बीच सहमूसि हो गयी होनी, बहा इस ग्रनुकोद के उपबंध केवल श्रन्त में उल्लिखित रकम पर लागू होंगे। उस मामले में ग्रदा की गयी रक्षमों के ग्रधिक भाग पर, इस ग्रनिसमय के श्रत्य उपबंधों का ग्रनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कातुन के अनुसार कर लगाया गायेगा।

গ্পনুস্তই 14

দুঁসীমর অদিলাশ

1 अवल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले अभिलाभ, जैसे कि अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में परिभाषित हैं, उस संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे जिसमे ऐसी संपत्ति स्थित है !

2 ऐसी चल संपत्ति के हस्तांतरण से, जो इस स्यायी संस्थापन की व्यापारिक संपत्ति का एक भाग हो जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्पित हो, अथवा एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन के प्रयोजनायं उपलब्ध किसी निश्चित आधार से संबंधित चस संपत्ति का भाग हो, प्राप्त अभिताओं पर, जिसमें ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा संपूर्ण उद्यम के साथ) अथवा ऐसे निर्धारिस स्याम के अंतरण से प्राप्त अभिलाभ भी शामिल है, उम हूसरे राज्य में कर लग संवेगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपसंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किमी उद्यम द्वारा ऐसे जलपोतों तथा बायुयानों के हस्तांतरण से जिन्हें ऐमा उद्यम अंतरीष्ट्रीय यातायात के अंक्षगत परिचालित करता है तथा क्रा प्रकार के जलपोतों तथा वायुयानों के संचालन से संबंधित जल संपत्ति के पाला लाभ केवल उस राज्य में कराव्येय होंगे ।

(क) किसी ऐसी कंपनी के भैयरों, जिसकी संपत्ति में एक संविदाकारी राज्य में स्थित मुख्यतः अचल संपत्ति गामिल हो और (ख) किसी भागीवारी अथवा किसी न्यास में हिन जिसकी संपत्ति में एक संविदाकारी राज्य में स्थित मुक्यत: अवल संपत्ति गामिल हो, के हस्तातरण में प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लग सकेगा । इस पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ "अवल संपत्ति" गब्द-पद में, उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित किसी कंपनी के शेयर अथवा जिसी न्याम में हित शामिल है ।

5. एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी ढारा, पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 4 में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे।

म्रानुच्छेद 15

प्रजन्ध-व्यवस्था तथा व्यावसायिक फीस

 एक संविदाकारो राज्य में उदभूत होने वाली और दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को अदा की जाने वाली प्रबंध व्यवस्था अयवा व्यायमायिक फीम पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की प्रबंध-ज्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस पर कर, उस संविदाकारी राज्य में तथा उस राज्य के कानून के अनुसार लगाया जा सकेगा जिसमें ये उदमूस होती हैं, किन्तु इस प्रकार लगाए जाने वाले कर की रकम, प्रबंध-ज्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस की सकल रकम के 17¹/2 प्रतिशत से अविक नहीं होगी ।

3. इस अनुकछेव में यथा-प्रयुक्त "प्रबंधव्यवस्था अयवा व्यावसायिक फीस" गब्धों का अर्थ, अदायगी करने वाले व्यक्ति से इतर अय्य व्यक्तियों को प्रबंधकीय, तकनीकी, व्यावगायिक अथवा परामगीं किस्म की किन्हीं सेवाओं के प्रतिकल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अदायगी है।

4. पैराम्राफ 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नही होंगे जब प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावमायिक फीम प्राप्त करने वाले व्यक्ति का एक संविदकारी राज्य का निवासी होंने केनाते उम दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें प्रवंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीम उदभूत होती है, कोई ऐसा स्थायी संस्थापन हां जिससे वे सेवाएं करागर रूप से संबद्ध हों जिन के कारण प्रबन्ध व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीम उदभूत होनी हो; ऐमे मामले में, अन्च्छेद 7 के उपबंध लागू होंगे ।

5. प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीम एक संविदाकारी राज्य में उदमूत हुई तब मानी जाएगी जबकि अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य हो. कोई राजनीतिक उपमंडल हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो अथवा उस राज्य का कोई मिवाली हो । किन्तु, जहां प्रबंध व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस जवा करने वाले व्यविन का, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, एक संविदाकारो राज्य में कोई स्थायी संस्थापन है जिमके संबंध में प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसा-यिक फीस झवा करने की देनदारी ली गयी थी और ऐसी प्रबंध-व्यवस्था अयवा ध्यावसायिक फीस इस प्रकार के स्थायी संस्थापन द्वारा बहुन की जाती है, सो ऐसी प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसारी राज्य में उदभूत हुई मानी जाएगी जिसमे यह स्थायी संस्थापन स्थित है।

6. जहां अक्ष करने याले तथा प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्यावसायिक फीस के लामप्रद स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी दूसरे व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रबंध-व्यवस्था अथवा व्याव-सायिक फीस की अदा की गयी रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखसे हुए जिनके लिए फीस की अदायगी की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में इस प्रकार के मंबंध नहीं होने को स्थिति में, अदा करने बाले तथा लाभप्रद स्वामी के बीच सहमति हो गयी होतीं, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंत में उस्लिखित रकम पर लागू होंगे। उस स्थिति में, अदा की गयी रकमों के अधिक भाग पर, उस अभिसमय के झन्य उपबंधों को ध्यान में रखसे हुए, प्रस्मेक संपिदाफारी राज्य के कानूगी के अनुमार कर लगाया जाएगा।

[भाग II---खण्ड 3(i)]

प्रमुच्छेर 15 स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं

। एक संविदाकारी राज्य के किसी नियामी को, वरित-संबंधी संवाओ अथवा इसी प्रकार के अग्य स्वतंत्र कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त आग पर कर केवल उसी राज्य में लग मजेगा अब तक जि

- (क) अपने कार्य-कलापों के प्रयोजनों के निमित्त उसे दूसरे संविदालारों राज्य में एक निक्तित स्थान पर नियमित रुप में उपलब्ध न हो, जिस मामले में उग दूसरे राज्य में कर उतनी रकम पर लगाया जा सकेगा जो उस निक्तिन स्थान के कारण उद्भूस हुई मानी जा सकती हो; अथवा
- (ख) कीनिया के मामले में सम्बद्ध कैलेण्डर वर्ष में अथवा भारत के मामले में सम्बद्ध पूर्ववर्ती वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक की अवधि अथवा अवधियों के लिए अपने कार्यकलापों के प्रयोजन के निमिन्त, दूमरे संविदाकारी राज्य में उपस्थित नहीं रहा हो और ऐसी स्थिति में उस राज्य में आय की उननी रकम पर कर लगाया आ मकेना जो उम दूसरे राज्य मे किए गए कार्यकलापों के कारण उद्भून हुई मानी जा सकनी हो ।

2. "वृत्ति-संबंधी सेवाएं" शब्द-पद में स्वतंद्र वैज्ञानिक साहित्यिक. कलात्मक गैक्षणिक अथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकिन्सकों, बकीलों, इंजीतियरों, वास्तुकारों, दंत-चिकित्सकों और लेखाकारों के स्वतंत्र कार्यकलाप भी शामिल है ।

ग्रनुच्छेद 17

पराश्चिस वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेव 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 के उपवंधों के अधीन रहते हुए, एक संघिद,कारी राज्य के किसी निवासी को, किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त घेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिअमिक पर कर केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा अब कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में न हो । यदि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उम दूमरे राज्य में कर लग सुकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथमोक्त राज्य मे ही लगेगा, यदि :----

- (क) प्राप्तकर्ता सम्बद्ध विक्तीय वर्ष में उस अवनि अथवा उन अव-धियों के लिए दूसरे राज्य में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक नही हो, और
- (ख) पारिश्रमिक को अवायगी ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी आंर में की गयी हो जो दूसरे राज्यका निवासी नहीं है, आंर
- (ग) पारिश्रमिक किसी ऐमें स्थायी संस्थापन अथवा निष्चित स्यान द्वारा वहन नहीं किया गया हो, जो कि उस नियोजन का दूसरे गज्य में है।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपवंधों के होते हुए भी, अंतर्राष्ट्रीय यातायान में जलपोन पर अथवा वायुगान पर किए गए नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लग मकेगा निसमें उस उखम की प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था है ।

अनुच्छेद 18

निदेशकों की फोम

एक संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सदस्य की हैनियन मे, जो टूमरे संविदाकारी राज्य का मियामी है, प्राप्त निदेशक को फीस तथा इसी प्रकार की अदायगियों पत्र उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा ।

थनुचलेद । ०

कलाकार तथा खिलाश

1. अनुअछेष 7. 16 तथा 17 के उपयंशों के होत हुए भो, लोक मनोरेजनफर्ताओं, जैसे थियेटर, चलचित्र, रेडियो अथवा दूरदर्शन कलाकार्श सथा संगीतकारों और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किए गए हों।

2. इस अभिसमय में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, जहा एक संविदावारी राज्य में, पैराग्राफ ! में उल्लिखित जिसी लोक मनो-रजनकर्ता अथवा किमी खिलाडी की सेनाओं की व्यवस्था दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा की जानी है. जहाँ उन सेनाओं की व्यवस्था करने से उक्त उद्यम को प्राप्त लाभों पर प्रथमोल्पिखित राज्य में कर लग मकेगा ।

3. पैरायाफ । और 2 के उपबंध उस स्थिति मे लोक मनोरंजन-कर्नाओं तथा खिलाड़ियों की सेवाओं पर लागू नहीं होंगे, यदि एक संधिवा-कारी राज्य की उनकी यात्रा का थ्यय पूर्णत: अथवा प्रयोग्तिस: दूग⁹ संविदाकारी राज्य की सार्वत्रनिक निधियों से बहन किया जाता हो ।

ग्रनुच्छेद 20

सरकारी सेवा

- (त) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनीतिक उप-मंडल अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा, उस राज्य अथवा उसके उप-मंडल अथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण के लिए की गयी सेवाओं के संबंध में किसी थ्यप्टि को अदा किसा गया, पंशन मे शिन्न, पारिक्षमिक, केवल उस राज्य में ही कराक्षेय होगा।
- (ख) तथापि, ऐसे गारिश्रमिक पर केवल उस मविदाकारी राज्य में, जिसका कि प्राप्तकर्ता निवासी है, कर लगेगा यदि उस राज्य में सेवाएं की जाती है श्रीर प्राप्तकर्ता मान्न सेवाएं करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी महीं बना हो।

2 पैराग्राफ 1 के उपबंध, संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य ढारा फ्रथवा उमके किसी राजनीतिक उपमंडल फ्रथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण ढारा चलाए जा रहे किसी व्यथनाय प्रथवा कारोवार के संबध में की गयी सेवाम्रों से संबंधित पारियांसक पर नागू नहीं होगे।

अनुच्छेद ४।

पेंशन

). एक सविवाकारी राज्य के स्रोतों में किसी ऐसे व्यक्टि हारा, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त की जा रही किसी भी पेंगन (इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखिन किस्म की पेंगन से भिल्न) तथा किसी भी वार्षिकी पर कर वाला प्रथमोल्लिखित मंविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकता है, लेकिन यदि व्यक्टि पर, पेंगन अथवा वार्षिकी के संबंध में, दूमरे संविदायानी राज्य में कर लगाया जाता है को प्रथमल्लिखित मंदिदावानी राज्य इस प्रकार लगाया गया कर निम्नलिखिन में अधिक नहीं होगा :--

- (क) फेंग्रन अयथा जापिकी का 5 प्रक्षिशत, अथवा
- (स्त्र) दूमरे संविदाकारी राज्य में पेंशन अथवा याधिको पर प्रथार्यकर. की रकम ।

२. एक संविद्याणारी राज्य द्वारा अथवा उस राज्य द्वारा निर्मित निश्चियों में से किसी व्यष्टि को उस मंदिवाकारी राज्य के संग्कारी कार्यी

को करने के लिए को गया सेनामां के लिए खदा की जाने वाली पेंशन पर कर उसी सविक्षकारी शाज्य में लग सुकीगा।

3 "बार्षिकी" मब्द का अर्थ उस उग्लिखित राशि मे है जो धन अथवा धन के मूल्य में पर्याला अववा पुरे प्रतिकल के लिये, अदायगिया करने के भिन्मी दायित्व के अर्धान, जीवन पर्यत्न अयवा विनिदिष्ट अखवा निश्चित समयाबधि के दौरान उल्लिखित समय पर देय होगी।

अনু**স্টেব** 22

विधार्थी और प्रशिक्षु

1. किमी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जो एक संविदा-तारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले डूसरे संविदाकारी राज्य का तिवासी है प्रथवा था. और जो माक्ष अपनी थिक्षा और प्रणिक्षण के प्रयोजनामें प्रथमोल्मिश्चित्त संविदाकारी राज्य में उपस्थित है, उस प्रथमो-ल्मिद्धित संविदाकारी राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा भरण-पोषण, शिक्षा अभवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उसे की गर्या प्रदायगियों पर, प्रथमोल्लिबित संविदाकारी राज्य में कर में छुट होगी।

2. इस फन्न्स्टेव का लाभ केवल ऐसी प्रवधि तक के लिए बढाबा जाएगा जो बिक्षा घथना लिए गए प्रशिक्षण को पुरा करने के लिए उचिन प्रवचा साधारणतवा प्रदेखित हो, परन्ते इस अनुब्खेव का लाभ किसी व्यक्ति को किसी भी हालत में लगातार नीन बर्पों से श्रुक्षिक श्रुवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा ।

अनुष्क्षेद 🕮 3

प्राध्यापक संधा अध्यापत

1. एक प्राध्यापक अथवा अध्यापक को, जो उस संविद्यालगरी राज्य से किसी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय अथवा अन्य मैंभणिक संस्थाओं में अध्यापन अथवा गोधकार्य के प्रयोजनार्थ एक वर्ष से अनधिक संस्थाओं में अध्यापन अथवा गोधकार्य के प्रयोजनार्थ एक वर्ष से अनधिक ती अवधि के लिए एक संविदावारी राज्य का दौरा करता है, और जो ऐसा कोर करते से नत्काल पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अपया था, ऐसे प्रध्यापन अथवा णोधकार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिधर्मिक पर, जिसके रॉबंध में उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अपया था, ऐसे प्रध्यापन अथवा णोधकार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिधर्मिक पर, जिसके रॉबंध में उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अपया था, ऐसे प्रध्यापन अथवा णोधकार्य के लिए प्राप्त किसी भी पारिधर्मिक पर, जिसके रॉबंध में उस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के कर लगता है, अभरता है, अभरता है, अभ्योत्वित्ति संवदाकारी राज्य में कर से खूट प्राप्त होगी । तथापि, उस राज्य में बाहर के स्वोसों से ऐसे कार्य के लिए प्राप्त कोई भी पारिधर्मिक पारियमिक, प्रथमोक्ति संविदाकारी राज्य में कटीप्ती योग्य नहीं होगा ।

2. यह अनुरुछेद उस जोधकार्य से प्राप्त श्राय पर लागू नहीं होगा गदि ऐसा जोधकार्य मुलत: विशिष्ट व्यक्ति प्रथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता है।

अन्ज्फ्रेद 24

आय जिमका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहां किया गय।

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी की ग्राय गी उस मदों पर, जिन्हें इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुब्छेद में स्पष्ट रूप से उस्तिखिल नहीं किया गया है, जिनके संबंध में उस पर उस राज्य में कर लगना है, केदल उसी राज्य में ही कर लगेगा।

2. तथापि, यदि एक सर्विदाकारी राज्य के किसी निवासी ढाग दूसरे संविदाकारी राज्य के स्क्रोतों से ऐसी ग्राय प्राप्त की जाती है तो ऐसी ग्राय पर उस राज्य में भी जिसमें वह उद्भून होती है. उस राक्ष्य के कानन के धनसार कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 25

दोहरे कराधान के उपाकरण के लिए प्रणाकी

 जिन सामलों भे इस अभिसमय में विपरीत प्रावधान बनाए जाते हैं, उन्हें छोड़कर, टोनों में से किसी भी एक संविदाकारी राज्य में सागू कानूम संबंधिश मंत्रिक्षकारी राज्यों में ग्राय के कराधान को शामिल करने रहेंगे ।

- 2. (क) कीलिया के कागूनों के मेरागैन और इस अभिससय के उपमंधों के अनुसार, यदि भारत की फिसी निवासी की कीलिया में स्थित साधनों से प्राप्त पर, प्रत्यशनः प्रायवा कटौबी द्वारा भारत प्रोर कीनिया दोनों में कर लगाया गया है, तो कीतिया के कर की देय रकम को, उक्त प्राय ये सबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीइति दी जाएगी वणर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने की स्वीइति दी जाएगी वणर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथा मंगणित) भारतीय कर की उन रकम में प्रधिक नहीं हो, जो कीतिया में स्थित साधनों में प्राप्त प्रार्थ के प्रति जमा सानने की स्वीइति दी जाएगी वणर्ते कि ऐसी जमा (ऐसी जमा सानने की स्वीइति दी जाएगी भारतीय कर की उन रकम में प्रधिक नहीं हो, जो कीनिया में स्थित साधनों में प्राप्त प्राय के प्रतुष्ट हो, लो कीनिया में स्थित साधनों में प्राप्त प्राय के प्रतुष्ट रहा ऐसा निवानी एक ऐसी रूपनी है जिसे भारत में प्रतिकर इत करना है, वहां अपर्युक्त जमा रकम प्रथम बार कंपनी द्वारा मारत में प्रायकर ने प्रति देय माती प्राप्ती, प्रोर जेब रकम, यदि कोई हो, तो वह उसके द्वारा भारत में अर्था निए जाने वाले कलिकर के रूप में जमा मानी जाएगी।
- (ख) उपर्युक्त उप पैरामाफ (क) में उल्लिखित अमा के प्रयोजन के लिए, "कीनिया का देथ कर" शब्दों में विम्नलिखित को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम शामिल नहीं मानी जाएगी जी किसी भी वर्ष के लिए कीनिया के कर के रूप में देव रही हो :---
 - (1) ग्राम कर प्रधिनियम 1973 की दिलीम ग्रन्सूची के पैराग्राफ 24 के प्रधीन मंजूर की गर्मी कोई पूंजी-निवेश कटौती;
 - (2) आयगर की निम्ततर निगम दर प्रिसकी प्राय कर फ्रांधनियम 1973 की तुनीम अनुयूची के पैराग्राफ 2 (का) में अयवरणा है:
 - (3) घम्य कोई भी उपनव भिन्हें प्रायिक बिकास के उद्देशों के लिए बाद में कर की किसी छुट ध्रभवा कटोती को मंजूर करने के लिए प्रविनियमित किमो गया हो ब्रीर जिनके लिए संविवाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारी सहमत हों।
- .3. (क) भाग्त के सानूनों के अंतर्गत, और इस अभिसमय के उपबोधों के अनुसार, प्रस्थक्ष अथवा कटौती ढ़ारा कीनिया के किसी निवासी की भारत में स्थित साक्षना में प्राप्त आद कर, भारत बीर कीनिया दोनों में कर लगाया गया है तो भारतीब कर की देय रक्तम को, उक्त बाय के संबंध में देय कीतिया के कर, के प्रति जमा मामने की स्वोक्चति दो जाएगी बागर्ने कि जमा की रक्तम (ऐसी जमा स्वोक्चत किए जाने से पूर्व यवा संगणित) कीनिया के कर की उरा रक्तम में अधिक नहीं ट्री, जो भारत में स्थित साक्षनों के प्राप्त के संबंध के स्वोक्च के प्राप्त के प्रार्थ के देव रक्त नहीं ट्री, जो भारत में स्थित साक्षनों में प्राप्त का प्राय के प्रार्थ है ;
- (ख) उ.पर उप-पैराग्राफ (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के सिए, ''देय भारतीय कर.'' शब्दों में ऐसी कोई भी रकम णामिल की गयी मान लो जाएगी जिसके द्वारा ग्रायकर अधिनियम, 196. की तिम्तलिखित धाराग्रों में निर्धारित किए गए विशेष प्रोत्साहन उपायों के इन्तुसार भारतीय कर घटा दिया गया है :--
 - (क) धारा 10(4), 10(4फ), 10(6) (7क), 10(15) (4), 10क, 32क, 33क, 35ब, 35गा, 80जज, ह0ज, 8ट, और 80ट
 - (ख) कोर्ड भी अन्य उपबंध, जो कराधेय झाथ से कटौती करने झथवा कर की छूट ध्ययवा कमी प्रवान करने के लिए बाद में प्रधिनियमिन किए जाएं, जिनके बारे में संविदाकारी राज्यों के संक्षम प्राधिकारियों के बीच यह सहसति हो कि वे झाथिक विकास के प्रयोजनों के लिए हैं।

4 जहां इस अभिसमंगं के अंतर्गत एंक संविदाकारी राज्य के किसी निवामी को दूसरे मंबिताकारी राज्य से प्रण्त झाय के संबंध में उस संधिदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त हो, सब प्रधंमोल्लिखित संधिदाकारी राज्य उस व्यक्ति को गेव झाय पर कर संगणना करने में कर को वही दर लागू कर सकता है जो इस अभिसमय के अनुआर कर से छूट दी गंगी आय को छूट न दिए जाने की स्थिति में लागू होती।

अनुच्छंद 26

सम व्यवहार

! एक मंत्रिवाकारी राज्य के राध्दिकों पर दूसरे मंत्रिवाकारी राज्य में ऐसी कोई कराछान व्यवस्था अथवा सरसबंधी ऐसी कोई भपेक्षा लागू नहीं की आएगी, जो उस कराछान से भौर उन संबंधित अपेक्षामों से मिल भणवा मधिक भारपूर्ण हो, जो उन दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर बैसी ही रियतियों में लागू होती हैं अथवा हो सकती हैं।

2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थामी संस्थापन पर लगाया जाने वाला कर उस बूसरे संविदाकारी राज्य में उस कर से अपेकाकृत कम अनुकूल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य के बैसे ही कार्य में प्रविृत्त उद्यमों पर लगाया जाता है।

3. इस भनुन्छेद में किसी भी यात का यह प्रर्थ नही लगाया जागगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, दूसरे संविताकारी राज्य के निवा-सियों को, कराधाल के प्रयोजनों के लिग, नागरिक हैसियत प्रथवा पारि-वारिक जिम्मेवारियों के कारण, किसी भी प्रकार की वे वैयक्तक शूटें, राहतें भीर कटौतियां प्रवान करने का ग्रधिकार प्राप्त होता है, जो वह म्रथने निवासियों को प्रदान करता है ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णत। भथवा अंगतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों के, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अलवा तरसंबंधी कोई ऐसी अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान और सरसंबंधी अपेक्षाप्रों से णिन्न अथवा मधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमो-स्लिखित राज्य के अभ्य वैसे ही उद्योगों पर लागू होती हैं प्रथवा हो सकती हैं।

ं 5. इस प्रनुच्छेद में "कराधान" शब्द-पद का भर्थ वे कर हैं जो इस भभिसमय का विषय हैं।

6. पूर्ववर्सी पैरायाफों के उपवंधों के होते हुए मी, भारत की तिवासी किसी कंपनी पर, जिसका कीनिया में स्थायी प्रसिष्ठान है. कीनियाई कानून के उपबंधों के अनुसार कर की प्रतिरिक्त दर लागू रहेगी, किन्सु यह प्रतिरिक्त दर 7.5 प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगी । तथापि, ऐसी कंपनी पर ऐसी कोई कराधान स्ववस्था प्रथवा तरसंबंधी ऐसी कोई प्रयेक्षा लागू नही की जाएगी, जो उस कराधान से ग्रीर उन संबंधित प्रयेक्षायों से भिन्न मध्य अथवा अधिक भारपुर्ण हो, जो उस प्रयोग सि प्रयोग राज्य में वैसे ही उद्यभों पर लागू होती हैं प्रथवा हो सकसी हैं।

अनुष्छेद 27

पारस्परिकं करार कार्यविधि

 जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई निवासी यह ममझता है कि एक प्रधवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्यवाहियों के कारण उस पर जो कर लगाया जासा है अववा लगाया जाएगा, वह इस अभिसमय के अनुरूप नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय कान्नों डारा 'उपबंधित उपचारों के होते हुए भी अपना मामला उस राज्य के मक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवामी है। यह मामला ऐसी कार्यवाही घथवा ऐसी कार्यवाहिंगे में से अक्षतन कार्यवाही, जैसा भी मामला हो की तारीख से तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 673 GI/85-2 2. यदि सक्षम प्राधिकारी को प्रापत्ति उचित लगे और यदि बह स्वयं किसी उपयुक्त हल पर महुंचने में प्रसमर्थ हो तो, बह ऐसे कराधान के परिहार को दुष्टि से जो इस ममिसमय के मनुष्टप नहीं है, दूखरे संविदाकारी राज्य के संक्षम प्राधिकारी की परम्पर महमति धारा उस मामले को ख्ल करने का प्रयास करेगा। किए गए किसी भी करार की कार्यान्वित किया आएगा चाह संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हो।

3. इस अभिसमय की व्याख्या करने प्रयवा इसे लागू करने में यति कोई कठिनाइग। अथवा शंकाएं उत्पन्न हों, धो संविदाकारी राजरों के महाम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे ! वे उन मामलों में दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार-विमर्थ कर सकते हैं, जिनकी इस अभिसमय मे व्यवस्था महीं है ।

4. इस अभिसमय के उपकंधों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ सीधे-पष्ट व्यवहार कर सकने हैं। सहमत होने में जब विचारों का मौखिक धादान-प्रवान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसे प्रादान-प्रदान किसी धायोग के माध्यम से किए जा सकते हैं, जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधि-कारियों के प्रतिनिधि हों।

জনুষ্ঠাই 28

सूचना मा वादान-प्रधान

 संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना का श्रादान-प्रदान करेंगे जो इस प्रमिसमय को कार्यान्वित करने के लिए अववा इन समिसमय के स्वर्गत माने वाले करों के संबंध में छल-कपट झववा राजेंस्व सपवंचन को रोकने के लिए प्रावश्यक हो, जहां तक किं उनके मधीन कराधान-व्यवस्था इस प्रसिक्षमय के प्रतुरूप हो । इस प्रकार आदान-प्रदान की गयीं किसी भी सूचना को गुप्त अमझा जाएगा सथा ऐसे व्यक्तियों प्रयवा प्राधिकारियों को प्रकट नहीं किया जाएगा जो उन करों के निर्धारण अथवा बसूक्षी से संबंधित न हों, जो कि इस अभिममय के विषय हैं।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राप: 1 के उपबंधों का मर्थ किती संविदाकारी राज्य पर निम्नलिश्चित वायिश्व डालना नहीं होगा :

- (क) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों भीर प्रशास-निक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना;
- (क) ऐसे विवरण देना ओ एक भ्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों के अंतर्गत भ्रयवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में ं प्राप्त नहीं हो सकते हों ;
- (ग) ऐसी सुचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यायसायिक, झौछो-गिक, वाणिज्यिक प्रथवा रोजगार मंबंधी गुप्त चेद झववा व्यापारिक प्रक्रिया अववा सुचना प्रकट होती हो झौर जिन्नको प्रकट करना सरकार की तीति के प्रतिकृत हो ।

अनुच्छेर 29

राजनयिक तथा कौंसली कार्य

इस अभिसमय में निहिन किमी व्यवस्था का, अंतर्राष्ट्रीय विक्रि के सामान्य नियद्वों के अंतर्गत प्रथवा विशेष करागे के उपदेशों के क्षंतर्गत राजनयिक ग्रथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य कर विषयक विशेषा-दिकारों पर कोई प्रभाव नहीं परेगा।

यनुच्छेद ३०

प्रवर्त्तन

 यह अभिनमय उस तारीका में लागू होगा, अब भारत में लगा कीतिया में वे सभी बातें पूरी कर ली जाएंगी जो इस अभिसमय को कमश: भारत में सथा कीतिया ने कानून की शक्ति प्रदान करने के लिए आवध्यक है। 2. दोनों संधिदाकारी राज्य इस मनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखिन अपक्षाओं के पृरा हो जान के बारे में एक दुसरे को सुचित करेंगे। राजनयिक टिप्पणियों का आदान-प्रदान, जिनमें यह प्रभाणित किया गया हो कि यह भएका पूरी कर ली गयी है, नई दिल्ली में किया जाएगा।

3 ऐमी राजनयिक टिप्पणयों का आवान-प्रदान हो जाने पर थह अभिसमय :

- (क) की निया मे;
 - (i) जिस वर्ष में सभी अधेक्षित भौषभारिकताएं पूरी की जामी हैं उसके अनुवर्ती कैलेण्डर बर्द में 1 जनवरी को या उसके बाद गैर रिहायणियों को क्रशा की गयी या अनके हिमाब में जमा दिखाई गयी रकमों पर स्रोन पर रोके गए कर के मंबंध में ।
 - (ii) जिस क्वैंकैलेल्डर बर्थ में सभी अधंकित औपचारिकनाएं पूरी की जाती हैं उस बर्थ में 1 जनवरी को या उमके बाद प्रारम्भ होने बाले आय वर्ष के लिए उदमुत होने बाली ग्राय पर अन्य करों के संबंध में 1

(ख) भारत में, जिस बर्ध में सभी भनेक्षित अपेषचारिकताएं पूरी की मेली है उस वर्ध में भप्रैल के प्रयम दिन को भयवा उसके बाद भारम्भ होने वाले जिसी भी भग्ग्निधीरिण वर्ष के लिए कर निर्धारण मोग्य आग के संबंध में ।

রস্পটর ৫।

समाप्ति

यह समय अनिश्चित काल तक लागू टरेगा परन्तु कोई भी संविधा-कारी राज्य, इसके लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की प्रवधि के समाप्त होने के बाद आरम्भ होने वाले किसी भी कैलेप्डर वर्ष मे जून के तीसलें दिन को प्रथवा उससे पहले दूसरे संविधाकारी राज्य को, राज-नधिक माध्वस्थों से, समाण्ति का लिखित नोटिस थे संवेगा और वैसे स्थिति में यह भूसिसम्य :

- (क) कीनिया में :
- (i) जिस कैलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया जाता है उसके ग्रगले परवर्ती कैलेण्डर वर्ष में जनवरी के पहले दिन को ग्रयवा उसके बाद गैर-रिहायश्विमों को प्रवा की गयी प्रयाया उनके हिंसाब में जमा दिखाई गई रकमों पर स्रोत पर रोके गये कर के संबंध में;
- (ij) जिस झाय-अर्थ में समाफि का नोटिस दिया गया हो उसके अगले परवर्सी वर्ध में सथा काद के बर्षों में उड्मून होने वाली आप पर घ्रस्य कर के संबंध मे;
- (आ) भारत मे

जिस कैलेण्डर वर्ष में समारित का नोटिस दिया गया हो. उसके ग्रागले परवर्ती दूखरे कैलेण्डर वर्ष मे ग्रीर परवर्ती वर्षी में, ग्राप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले किसी कर-निर्घारण वर्ष के संबंध मे कर निर्घारण योभ्य आप के संबंध मे लागू नहीं जरेगा ।

जिसके सार्थ्य में इसके लिए विधिवत् प्राधिकृत अधोहस्ताशरियों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हैं ।

तैरोबी में आज वर्ष एक हजार नौ सौ पचासी के अप्रैल मास के 12 दिन को हिन्दी और ग्रंधेजो भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, परन्तु किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

ह /-	₹ /-
भारत गणराउय	कीनियाः गणराज्य
की सरकार की	की सरथतर की
बोर से	फीर से

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 20th August, 1985

NOTIFICATION

INCOME-TAX

G.S.R. 665(E).—Whereas the Government of India and the Government of Kenya have concluded a Convention, as set out in the Annexure hereto, for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income;

And whereas all the requirements have been completed in India and Kenya as are necessary to give the said Convention the force of law in India and Kenya respectively, as required by paragraph 1 of Article 30 of the said Convention;

And whereas the diplomatic notes to this effect have been exchanged between the said two Governments, as required by paragraph 2 of Atticle 30 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

> [F. No. 501]3[72-FTD] V. U. ERADI, Jt. Seev.

CONVENTION BETWEEN INDIA AND KENYA

FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA-TION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH K-SPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of India and the Government of the Republic of Kenya desiring to conclude a Convention to avoid double taxation and to prevent fiscal evasion with respect to taxes on income have agreed upon the following measures:

ARTICLE 1

PERSONNEL SCOPE

This Convention shall apply to perssons who are residents of one or both of the Contracting States.

ARTICLE 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterpises.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:

- (a) in the case of India: the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961); and the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) (hereinafter referred to as "Indian tax").
- (b) in the case of Kenya :
 - the income taxes imposed under the Income Tax Act (Cap. 70) (hereinafter refrred to as "Kenyan Tax").

4. This Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes on income which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The Contracting States shall notify each other of significant changes which have been made in their respective taxation laws,

ARTICLE 3

GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention unless the context otherwise requires:

- (a) The term "Kenya" means the Republic of Kenya, including any area outside the territorial waters of Kenya which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Kenya concerning the Continental Shelf, as an area over which Kenya may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources;
- (b) The term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent that these rights can be exercised therein as if such maritime zone is a part of the territory of India;
- (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Kenya or India as the context requires;
- (d) the term "tax means Kenyan tax or Indian tax as the context requires, but shall not include any tax which is payable in respect of any default or ommission in relation to the taxes to which this Convention applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
- (e) the term "person" means an individual, a company and any other body of persons treated as an entity for tax purposes;
- (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes (

(g) the terms "Kenyan enterprise" and "Indian enterprise" mean respectively an industrial or commercial enterpise or undertaking carried on by a resident of Kenya and an industrial or commercial enterprise or undertaking carried on by a resident of India and the terms "enterpise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean a Kenyan enterprise or an Indian enterpise, as the context requires;

ಜಾಲ್ ಇ ರೂಪ ಕಾರ್ಮದ ಸಂಪತ

- (h) the term "national" means any individual possessing the nationality of Kenya or India as the case may be and all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in Kenya or India, as the case may be.
- (i) the term "competent authority" means :
 - (a) in the case of Kenya, the Minister of Finance or his authorised representative:
 - (b) In the case of India, the Ministry of Finance (Department of Revenue).
- (j) the term "international traffic" menas any voyage of a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting state, except where the voyage is confined solely to places within the other Contracting State.

2. In the application of the provisions of this convention by a Contracting State any terms not otherwise defined herein shall unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the present Convention.

ARTICEL 4

FISCAL DOMICILE

1. For the purpose of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence place of management or any other criterion of a similar nature.

2. There by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status shall be determined in accordance with the following rules:—

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as his "centre of vital interests");
- (b) if the Contracting State in which he has his Centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode:

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the Competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a company is a rsident of both Contracting States, then this case shall be determined in accordance with the following rules :

- (a) it shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which it is a national;
- (b) if it is a national of neither of the Contracting States then it shall be deemed to be a resident of a Contracting State in which its place of effective management is situated.

4. Whereby reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, it shall then be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

ARTICLE 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a mine, oilwell, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (g) a farm, plantation or other place where agricultural forestry, plantation or related activities are carried on;
- (h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months;
- (i) the provision of supervisory activities for more than six months on a building site or construction or assembly project.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise
- solely for the purpose of storage or display;

- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information for the enterprise;
- (e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 6 apply—shall be deemed to be a permanent establishment in the first mentioned State if:

- (a) he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise : or
- (b) he maintains in that first mentioned State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfils orders on behalf of that enterprise.

5. An insurance enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in that other State or insures risks therein through an employee or through a representative who is not an agent of independent status within the meaning of paragraph 6.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, gene al commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, where the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company, a permanent establishment of the other.

ARTICLE 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income from immovable property including iacome from agriculture or forestry may be taxed in the Contracting State in which such property is situated. 2. For the purposes of this Convention, the term inmovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, right to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property and to profits from the alienation of such property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

ARTICLE 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried or business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to : (a) that permanent establishment, (b) sales in the other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment, or (c) other business activities carried on in that effected through that permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to the permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. In so far as it has been customary in a Contracting State, according to its law, to determine the profits to be attributed to a permanent esablishement on the basis of an apportionment of the is total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of approtionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article. 5. No portion of any profits arising to an enterprise of a Contracting State shall be attributed to a permanent establishment situated in the other Contracting State by reason of the mere purchase of goods or mechandise within that other State for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 8

AIR TRANSPORT

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of the profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.

3. For the purposes of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

ARTICLE 9

SHIPPING

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in both Contracting States according to the law of each Contracting State :

Provided that where such an enterprise derives profits from such operation in the other Contracting State :

- (a) such profits shall be deemed to be an amount not exceeding five per cent of the full amount received by the enterprise on account of the carriage of passengers or freight embarked in that other State;
- (b) the tax chargeable in that other State shall be reduced by an amount equal to fifty per cent thereof.

ARTICLE 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their, commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where profits on which an enterprise of a Contracting State has been charged to tax in that State are also included in the profits of an enterprise of the other Contracting State and taxed accordingly, and the profits so included are profits which would have accrued to that enterprise of the other State, if the conditions made between the enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then the first-mentioned State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged on those profits in the firstmentioned State. In determining such an adjustment due regard shall be had to the other provisions of this Convention in relation to the nature of the income.

ARTICLE 11

DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

ARTICLE 12

INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged in the Contracting State in which the interest arises shall, not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Government or local authority, shall be exempt from tax of the first-mentioned Contracting State. The competent authorities of the Contracting State may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other incomes assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.

5. The provisions of paragraph 2 shall not apply If the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and that interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount, in that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 13

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged in the Contracting State in which the royalties arise shall, not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated herein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed-base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such

royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 14

CAPITAL GAINS

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6 may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.

4. Gains from the alienation of-

- (a) shares of a company, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State, and
- (b) interest in a partnership or a trust, the property of which consists principally of immovable property situated in a Contracting State,

may be taxed in that State. For the purposes of this paragraph the term "immovable property" includes the shares of a company referred to in subparagraph (a) or an interest in a partnership or a trust referred to in subparagraph (b).

5. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alignation of any property other than those mentioned in purgraphs 1, 2, 3 and 4 shall be taxable only in that State.

ARTICLE 15

MANAGEMENT AND PROFESSIONAL FEES

1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such management or professional fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so enarged shall not exceed $17\frac{1}{2}$ per cent of the gross amount of the management or professional fees.

3. The term "management or professional fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employce of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical, professional or consultancy nature.

4. The provisions of paragraph 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the management or professional fees arise a permanent establishment with which the services giving rise to the management or professional fees are effectively connected. In such a case the provisions of Article 7 shall apply.

5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the management or professional fees was incurred and such management or professional fees are borne by such permanent establishment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.

6. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner of the management or professional fees or between both of them and some other person, the amount of the management or professional fees paid, having regard to the service for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case the excess part of the payment shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

ARTICLE 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless :

- (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purposes of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
- (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities

for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the catendar year concerned in the case of Kenya or the previous year concerned in the case of India, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to the activities performed in that other State.

2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activitics of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists, and accountants.

ARTICLE 17

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in the other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if :

- (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the fiscal year concerned, and
- (b) the remuneration is paid by, or on behalf of an employer who is not a resident of the other State, and
- (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 18

DIRECTORS' FEES

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a , member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 19

ARTISTES AND ATHLETES

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7, 16 and 17, income derived by public cutertainers, such as theatre, motion picture, radio or television ------

artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised.

2. Notwithstanding anything contained in this Convention, where the services of public entertainer or an athlete mentioned in paragraph 1 are provided in a Contracting State by an enterprise of the other Contracting State, the profits derived by that enterprise from providing those services may be taxed in the first mentioned State.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to services of public entertainers and athletes. If their visit to a Contracting State is supported wholly or substantially from public funds of the other Contracting State.

ARTICLE 20

GOVERNMENT SERVICE

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the Contracting State of which the recipient is a resident if the services are rendered in that State and the recipient did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to remuneration in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by one of the Contracting States or a political subdivision or a local authority thereof.

ARTICLE 21

PENSIONS

1. Any pension (other than a pension of the kind referred to in paragraph (2) of this Article) and any annuity, derived from sources within a Contracting State by an individual who is a resident of the other Contracting State may be taxed in the first-mentioned Contracting State, but if the individual is subject to tax in the other Contracting State in respect of the pension or annuity the tax so charged in the first-mentioned Contracting State shall not exceed the lower of-

- (a) 5 per cent of the pension or annunity; or
- (b) the amount of tax chargeable on the pension or annuity in the other Contracting State.

2. Pensions paid by, or out of funds created by, a Contracting State to an individual for services rendered to that Contracting State in the discharge of governmental functions may be taxed only in that Contracting State.

3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for ade-673 GU85-3 _____

quate and full consideration in money or money's worth.

ARTICLE 22

STUDENTS AND APPRENTICES

1. A student or business apprentice who is or was thinkediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purposes of his maintenance, education or training.

2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken, but in no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years.

ARTICLE 23

PROFESSORS AND TEACHERS

1 A professor or teacher who visits a Contracting State for a period not exceeding one year for the purpose of teaching or conducting research at a University, College, School or other Educational Institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-menioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other Contracting State. However, any remuneration for such work received from sources outside the State shall not be deductible in the first-mentioned State.

2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.

ARTICLE 24

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

1. Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing articles of this Convention in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises, and according to the law of that State.

ARTICLE 25

METHOD OF ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisions to the contrary are made in this Convention.

2. (a) The amount of Kenyan tax payable, under the laws of Kenya and in accordance with the provision of this Convention, whether dierctly or by deduc-

tion, by a resident of India, in respect of income from sources within Kenya which has been subjected to tax both in India and in Kenya, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income, provided that such credit shall not exceed the Indian tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the income derived from sources within Kenya; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income-tax payable by the company in India, and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Kenyan tax payable" shall be deemed to include any amount which would have been payable as Kenyan tax for any year but for : (i) any investment deduction granted under paragraph 24 of the Second Schedule to the Income-tax Act, cap 470; (ii) the lower Corporation rate of income-tax provided by paragraph 2(b) of the Third Schedule to the Income-tax Act, cap 470; (iii) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.

3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly or by deduction, by a resident of Kenya, in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Kenya, shall be allowed as a credit against Kenyan tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Kenyan tax (as computed before allowing any such credit) which is appropriate to the income derived from sources within India;

(b) For the purposes of the credit referred to in sub-paragraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following Sections of the Income-tax Act, 1961: -

- (a) Sections 10(4), 10(4A), 10(6) (viia), 10(15)(iv), 10A, 32A, 33A, 35B, 35CC, 80HH, 80I, 80K, 80L, and
- (b) any other provisions which may subsequently be enacted granting a deduction from taxable income or exemption from or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purposes of economic development.

4. Where under this Convention a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State in respect of income derived from the other Contracting State then the first-mentioned Contracting State may, in calculating tax in the remaining income of that person apply the rate of tax which would have been applicable if the income exempted from tax in accordance with this Convention had net been so exempted.

ARTICLE 26

NON-DISCRIMINATION

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall no be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled. directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Convention.

o. Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraphs, a company which is a resident of India and which has a permanent establishment in Kenya shall remain subject to an additional rate of tax in accordance with the provisions of Kenyan law, but such additional rate shall not exceed 7.5 per cent. However, such a company will not be subjected to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

ARTICLE 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in texation not in accordance with this Convention, he may, notwithstanding the remedies provided by the rational laws of those States, present his case to the competent authority of the State of which he is a resident. The case must be presented within three years of the date of such action or the latest of such actions as the case may be.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with this Convention Any agreement

reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of this Convention They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in this Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may Communicate directly with each other for the purposes of applying the provisions of this Convention. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opiuions, such exchange may take place through a commission consisting of representatives of the competent authorities of the contracting States

ARTICLE 28

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention or for preventing fraud or fiscal evasion concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation there-under is in accordance with this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of this Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on one of the Contracting States the obligation.

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- supply particulars which are not (b) to obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, Commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privilege of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

ARTICLE 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall come into force on the date then the last of all such things shall have been done in India and Kenya as are necessary to give the Convention the force of law in India and Kenya respectively.

2. The Contracting States shall notify each other of the completion of the requirements mentioned in

paragraph 1 of this Article. The exchange of diplomatic notes certifying that this requirement has been completed shall take place at

3. Upon the exchange of such diplomatic notes, this Convention shall have effect :

(a) in Kenya;

_____<u>----</u>_____

- (i) In respect of taxes withheld at the source on amounts paid or credited to nonresidents on or after 1st January in the calendar year following the year in which all the required formalities are completed.
- (ii) In respect of other taxes on income arising for the year of income commencing on or after the 1st January in the calender year in which all the required formalities are completed.
- (b) In India, in respect of income assessable for any assessment year commencing on or after 1st day of April, in the year in which all the required formalities are completed.

ARTICLE 31

TERMINATION

Convention shall continue This in effect indefinitely but either of the Contracting States may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of its entry into force, give the other Contracting State, through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect.

(a) In Kenya:

- (i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents on or after the 1st day of January in the calendar next following that in which the notice is given;
- (ii) in respect of other tax on income arising for the year of income next following that in which the notice of termination is given, and subsequent years;

(b) in India:

in respect of income assessable for the assessment year commencing on the 1st day of April in the second clalendar year next following the calendar year in which the notice is given, and subsequent years.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Convention

Done in duplicate at Nairobi this twelfth day of April one thousand Nine Hundred and Eightyfive in the English, and Hindi languages but in the event of any dispute, the English text shall prevail.

Sdl-

Sdl-

For the Government of the Republic of Kenva

For the Government of the Republic of India

_

. .. PRINTED BY THE MANAGER, GOVT, OF INDIA PRESS. RING ROAD, NEW DELHI-110064

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS. DPLHI-110054, 1985